प्रेस नोट 28/06/2024

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 01 दोषसिद्ध अभियुक्त को कारित अपराध के लिए जेल में बिताई गई अवधि व ₹2000 के अर्थदंड से हुया दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय ACJM/SD जनपद मऊ द्वारा दिनांक 28-06-2024 को मु0अ0सं0 66/2005 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मधुबन में दोषसिद्ध अभियुक्त रामभवन यादव पुत्र प्रहलाद यादव निवासी धर्मपुर टाड़ी थाना मधुबन जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए जेल में बिताई गई अवधि की सजा एवं ₹2000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर दोषसिद्ध को 15 दिवस का साधारण कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्री हरेन्द्र सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी कमलेश भारती थाना मधुबन का सराहनीय योगदान रहा।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 01 दोषसिद्ध अभियुक्त को कारित अपराध के लिए न्यायालय उठने तक की सजा अवधि व ₹2000 के अर्थदंड से हुया दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय ACJM/SD जनपद मऊ द्वारा दिनांक 28-06-2024 को मु0अ0सं0 361/2018 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मधुबन में दोषसिद्ध अभियुक्त राजकेश्वर उराव पुत्र मनमोहन निवासी पेसड़ार थाना पेसड़ार जनपद लोहरदगा झारखंड को कारित अपराध के लिए न्यायालय उठने तक की सजा अवधि एवं ₹2000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर दोषसिद्ध को 15 दिवस का साधारण कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्री हरेन्द्र सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी कमलेश भारती थाना मधुबन का सराहनीय योगदान रहा।

दो शातिर चोर गिरफ्तार कब्जे से चोरी की एक अदद डीजे मशीन बरामद-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/आपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मुहम्मदाबाद पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब आज दिनांक 28.06.2024 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर तुलसीपुर कुढवा में कुछ दिन पहले डीजे मशीन चोरी हूई थी, उसी को बेचने के लिए दो लोग करहां से आजमगढ़ जा रहे हैं इस सूचना पर पुलिस टीम करहां जाने वाले मार्ग पर पडने वाले भैंसहां मोड़ के पास से अभियुक्तगण गौरव कुमार पुत्र घूरा राम निवासी

ठकुरीपट्टी, राहुल कुमार पुत्र परमेश प्रसाद निवासी ठकुरीपट्टी थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ के कब्जे से चोरी की एक अदद डीजे मशीन SPB4K Stranger 2000 W DUAL POWER AMPLIFIER बरामद कर गिरफ्तार किया गया । जो थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 207/2024 धारा 379 भादवि से संबंधित पाये गये। उक्त अभियोग में धारा 411 भादवि की बढोत्तरी कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण-

1. गौरव कुमार पुत्र घूरा राम निवासी ठकुरीपट्टी थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ।
2. राहुल कुमार पुत्र परमेश प्रसाद निवासी ठकुरीपट्टी थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ।

बरामदगी-

1. एक अदद डीजे मशीन SPB4K Stranger 2000 W DUAL POWER AMPLIFIER ।

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 27.06.2024 को थाना हलधरपुर द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर चकरा तिराहा के पास से मु0अ0सं0 84/24 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त सोनू पुत्र खलील निवासी लाडनपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।